

Seventeenth Loksabha

an&gt;

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers /Members.

**माननीय सभापति:** अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

आइटम नंबर 4, श्री राव इंद्रजीत सिंह जी ।

... (व्यवधान)

**THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (RAO INDERJIT SINGH):** I beg to lay on the Table a copy of the Notification No. G.S.R.222(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 26<sup>th</sup> March, 2022, making certain amendments in Notification No. G.S.R.835(E) dated 3<sup>rd</sup> November, 2015 under Section 30B of the Chartered Accountants Act, 1949, Section 40 of the Cost and Works Accountants Act, 1959 and Section 40 of the Company Secretaries Act, 1980.

[Placed in Library, See No. LT 7084/17/22 ]

**14.02 hrs**

*At this stage, Shri Hanuman Beniwal came and stood on the floor near the Table.*

... (व्यवधान)

**माननीय सभापति** : आइटम नं. 5, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी ।

... (**व्यवधान**)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री पंकज चौधरी**): माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ: -

(1) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 29 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (कार्य-निष्पादन समीक्षा समिति) विनियम, 2022 जो 25 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2021-22/जीएन/आरईजी022 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) केंद्र सरकार की 14.12.2021 की अधिसूचना संख्या का.आ. 5199(अ) के साथ पठित आईएफएससीए अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2021-22/जीएन/आरईजी 023 जो 13 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एयरक्राफ्ट ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट को 'वित्तीय उत्पाद' के रूप में अधिसूचित किया गया है ।

(तीन) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2022 जो 20 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2022-23/जीएन/आरईजी024 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2022-23/जीएन/आरईजी025 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वित्त कंपनी) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 4 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना

संख्या आईएफएससीए/2022-23/जीएन/आरईजी026 में प्रकाशित हुए थे ।

(छह) अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2020-21/एनआईसीसीएल/245 जो 26 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आईएफएससीए (बाजार अवसंरचना संस्थान) विनियम, 2021 के अंतर्गत एनएसई आईएफएससी क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की मान्यता के नवीनीकरण के बारे में है ।

(सात) का.आ. 2374(अ) जो 24 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विदेशी विश्वविद्यालयों या विदेशी संस्थानों द्वारा वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में संचालित पाठ्यक्रमों को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत 'वित्तीय उत्पाद' के रूप में अधिसूचित किया गया है ।

(आठ) अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2021-22/जीएन/रेग023 जो 29 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें एयरक्राफ्ट ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट को वित्तीय उत्पाद के रूप में अधिसूचित करने वाली 13.4.2022 की अधिसूचना का शुद्धिपत्र दिया गया है ।

(नौ) अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2020-21/ एनएसई-आईएफएससी /262 जो 26 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आईएफएससीए (बाजार अवसंरचना संस्था) विनियम, 2021 के अंतर्गत एनएसई आईएफएससी की मान्यता के नवीनीकरण के बारे में है ।

[Placed in Library, See No. LT 7086/17/22 ]

- (2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अग्रिम विनिर्णय) संशोधन नियम, 2017 जो दिनांक 31 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 316(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (मामलों का निपटान) संशोधन नियम, 2017 जो दिनांक 12 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 349(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7087/17/22 ]

- (4) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) सेवा कर (अग्रिम विनिर्णय) संशोधन नियम, 2017 जो दिनांक 31 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 317(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (दो) सेवा कर (मामलों का निपटान) संशोधन नियम, 2017 जो दिनांक 12 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 350(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7088/17/22 ]

- (6) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत

निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) सीमा शुल्क (अग्रिम विनिर्णय) संशोधन नियम, 2017 जो दिनांक 31 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 315(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (दो) सीमा शुल्क (मामलों का निपटान) संशोधन नियम, 2017 जो दिनांक 12 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 348(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7089/17/22 ]

**माननीय सभापति :** आइटम नं. 7, श्री राजीव चन्द्रशेखर ।

... (व्यवधान)

**14.03 hrs**

*At this stage Shri Benny Behanan and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*

... (व्यवधान)

**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर):** सर, यह क्या हो रहा है? सुबह से गुहार लगाते आ रहे हैं । ... (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** आइटम नं. 8, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी ।

... (व्यवधान)

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (i) केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (ii) केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7094/17/22 ]

- (3) (i) भारतीय प्रबंध संस्थान तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (ii) भारतीय प्रबंध संस्थान तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7095/17/22 ]

- (5) (i) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, कर्नूल के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

- (ii) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, कर्नूल के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7096/17/22 ]

- (7) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2014 की धारा 50 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 1360 (अ) जो 25 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन और मैनुफेक्चरिंग संस्थान, कुर्नूल के अध्यादेश बनाए गए हैं, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7097/17/22 ]

... (**व्यवधान**)

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. BHAGWAT KARAD):** I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Draft Notification No. F. No. 3/4/2022-EM Part-(1) (Hindi and English versions) pertaining to the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 under sub-section (2) of Section 31 of the said Act.

[Placed in Library, See No. LT 7098/17/22 ]

- (2) A copy each of the Reports (Hindi and English versions) of the National Housing Bank on the Trend and Progress of Housing in

India, 2020 for the years 2020 and 2021.

[Placed in Library, See No. LT 7099/17/22 ]

- (3) A copy of the Public Enterprises Survey, 2020-2021 (Volume I & II) (Hindi and English versions).

[Placed in Library, See No. LT 7100/17/22 ]

- (4) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 151(1) of the Constitution:-

Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Defence Services-Army) (Report No. 3 of 2022)-Performance Audit on Inventory Management in Ordnance Services.

Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Report No. 2 of 2022)-Performance Audit on Management of Spectrum assigned on the administrative basis to Government Departments/Agencies, Department of Telecommunications, Ministry of Communications.

[Placed in Library, See No. LT 7101/17/22 ]

- (5) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

Appropriation Accounts of Ministry of Railways (Railway Board) for the year 2020-2021 (Part I-Review).

Appropriation Accounts of Ministry of Railways (Railway Board) for the year 2020-2021 (Part II-Detailed Appropriation Accounts).

Appropriation Accounts of Ministry of Railways (Railway Board) for the year 2020-2021 [Part II-Detailed Appropriation Accounts-(Annexure-G)].

[Placed in Library, See No. LT 7102/17/22 ]

(6) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, Mumbai, for the year ended March 31, 2022.

[Placed in Library, See No. LT 7103/17/22 ]

(7) A copy of the Life Insurance Corporation of India General (Amendment) Rules, 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.171(E) in Gazette of India dated 4<sup>th</sup> March, 2022 under sub-section (3) of Section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956.

[Placed in Library, See No. LT 7104/17/22 ]

(8) A copy of the Notification No. S.D.(B.S.) No. 2823-2022/02.14.005 (Hindi and English versions) published in weekly Gazette of India dated 16<sup>th</sup> April, 2022, making amendments to the Regulation No. 24 of the Reserve Bank of India General Regulations, 1949 under sub-section (4) of Section 58 of the Reserve Bank of India Act, 1934.

[Placed in Library, See No. LT 7105/17/22 ]

(9) A copy of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Redressal of Subscriber Grievance) (Amendment) Regulations, 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No. F. No. PFRDA/12/RGL/139/1 in Gazette of India dated 25<sup>th</sup> May, 2022 under Section 53 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013.

[Placed in Library, See No. LT 7106/17/22 ]

---